

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर 2009—कार्तिक 14, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2009

एफ-16-12-2008-(एक)-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा आवासीय आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (ये बैंड+ग्रेड पे) (5)	अभ्युक्तियां (6)
1	आवासीय आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000	भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग का पद
2	विशेष आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से
3	अपर आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8700	—
4	संयुक्त आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600	—
5	उपायुक्त	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	कार्यपालन यंत्री	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600	लोक निर्माण विभाग से स्थानांतरण द्वारा
7	सहायक यंत्री	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	लोक निर्माण विभाग से स्थानांतरण द्वारा
8	सहायक शल्य चिकित्सक	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	लोक स्वास्थ्य विभाग से स्थानांतरण द्वारा
9	मुख्यमंत्री के संपर्क अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	मुख्यमंत्री की स्थापना से
10	प्रोटोकाल अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
11	उप संचालक	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
12	हाउस मैनेजर	2	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
13	अनुभाग अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200	—

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

अनु- क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सोधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए	अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आवासीय आयुक्त	1	—	—	100 प्रतिशत
2	विशेष आयुक्त	1	—	—	100 प्रतिशत
3	अपर आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
4	संयुक्त आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
5	उप आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
6	कार्यपालन यंत्री	1	—	—	100 प्रतिशत
7	सहायक यंत्री	1	—	—	100 प्रतिशत
8	सहायक शल्य चिकित्सक	1	—	—	100 प्रतिशत
9	मुख्यमंत्री के संपर्क अधिकारी	1	—	—	100 प्रतिशत
10	प्रोटोकाल अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—
11	उप संचालक	1	—	—	—

पद वित्त सेवा के
अधिकारी (वित्त सेवा
का संवर्गीय पद) से
भरा जावेगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	हाउस मैनेजर	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
13	अनुभाग अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित अर्हता	अन्य मद	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हाउस मैनेजर	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा मान्यताप्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट की उपाधि	—	—

अनुसूची-चार

(नियम 13 देखिए)

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	पदोन्नति की प्रक्रिया	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संयुक्त आयुक्त	अपर आयुक्त	5 वर्ष	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य. —अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग. —सदस्य 3. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली —सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग —सदस्य	—	—
2	उपायुक्त	संयुक्त आयुक्त	5 वर्ष	तदैव	—	—
3	प्रोटोकाल अधिकारी	उपायुक्त	5 वर्ष	तदैव	—	—
4	अनुभाग अधिकारी	उप संचालक	5 वर्ष	तदैव	—	—
5	सहायक प्रोटोकाल अधिकारी	प्रोटोकाल अधिकारी	5 वर्ष	तदैव	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	सहायक लेखापाल/ संपर्क सहायक	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	तदैव	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 16-12-2008-एक 4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2000 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 5th November 2009

No. F-16-12-2008-1-4.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Office of the Resident Commissioner, Government of Madhya Pradesh at New Delhi (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2000, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :—

SCHEDULE—I (See rule 5)

S. No.	Name of Posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale (Pay Band +Grade Pay)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resident Commissioner	1	Class One	37400—67000+10000	Cadre Post of Indian Administrative Service
2	Special Commissioner	1	Class One	37400—67000+10000	From the Cadre of Indian Administrative Service
3	Additional Commissioner	1	Class One	37400—67000+8700	—
4	Joint Commissioner	1	Class One	15600—39100+7600	—
5	Deputy Commissioner	1	Class One	15600—39100+6600	—
6	Executive Engineer	1	Class One	15600—39100+6600	By transfer from Public Works Department

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Assistant Engineer	1	Class Two	15600—39100+5400	By transfer from Public Works Department
8	Assistant Surgeon	1	Class Two	15600—39100+5400	By transfer from Public Health Department
9	Liason Officer to Chief Minister	1	Class Two	15600—39100+5400	From Establishment of the Chief Minister
10	Protocol Officer	1	Class Two	15600—39100+5400	—
11	Deputy Director	1	Class Two	15600—39100+5400	—
12	House Manager	2	Class Two	15600—39100+5400	—
13	Section Officer	1	Class Two	9300—34800+4200	—

SCHEDULE—II
(See rule 6)

S. No.	Name of Posts	No. of Posts	Percentage of Number of Posts to be filled		
			By Direct recruitment vide rule 6(1) (a)	By Promotion of members of service vide rule 6(1) (b)	By temporary transfer from other service vide rule 6(1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resident Commissioner	1	—	—	100%
2	Special Commissioner	1	—	—	100%
3	Additional Commissioner	1	—	100%	—
4	Joint Commissioner	1	—	100%	—
5	Deputy Commissioner	1	—	100%	—
6	Executive Engineer	1	—	—	100%
7	Assistant Engineer	1	—	—	100%
8	Assistnant Surgeon	1	—	—	100%
9	Liason Officer to Chief Minister	1	—	—	100%
10	Protocol Officer	1	—	100%	—
11	Deputy Director	1	—	100%	This Post will be filled up by the officer's of M. P. Finance Services (Cader Post of M. P. Finance Services).
12	House Manager	2	50%	50%	—
13	Section Officer	1	—	100%	—

SCHEDULE—III

(See rule 8)

Age and qualifications of persons to be appointed by direct recruitment

S. No.	Name of Posts	Minimum age Limit	Maximum age Limit	Prescribed qualification	Other items	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	House Manager	18 Years	30 Years	Graduate from any recognised University and Hotel Management degree from recognised Institution.		

SCHEDULE—IV

(See rule 13)

S. No.	Name of the Posts from which promotion would be given	Name of the Post on which promotion would be given	Minimum service period for promotion	Name of the Departmental Promotion Committee	Procedure of Promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Joint Commissioner	Additional Commissioner	5 Years	1. Chairman, Public Service Commission or on his behalf nominated member of PSC —Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secy., GAD —Member 3. Resident Commissioner Govt. of Madhya Pradesh New Delhi. 4. Additional Secretary/ Deputy Secy., Govt. of M. P. GAD —Member		
2	Deputy Commissioner	Joint Commissioner	5 Years	—do—	—	—
3	Protocol Officer	Deputy Commissioner	5 Years	—do—	—	—
4	Section Officer	Deputy Director	5 Years	—do—	—	—
5	Assistant Protocol Officer	Protocol Officer	5 Years	—do—	—	—
6	Assistant Accountant/ Liason Assistant	Section Officer	5 Years	—do—	—	—

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUDESH KUMAR, Principal Secy.